

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-22/01/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 57 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि कुल ₹6442.20 लाख रु० के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹166.78 लाख रु० SCSP मद में, ₹16.50 लाख रु० TSP मद में एवं ₹1964.12 लाख रु० Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹2147.40 लाख रु० (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रु० मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/16/2016-HFA-III(FTS 15878) दिनांक- नवम्बर, 2016 द्वारा राज्य के 57 नगर निकायों हेतु ₹500.34 लाख रु० SCSP मद में, ₹49.51 लाख रु० TSP मद में एवं ₹5892.35 लाख रु० Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹6442.20 लाख रु० विमुक्त की गयी। इसकी निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-188 दिनांक-21.12.16 आवंटनादेश सं०-189 दिनांक-21.12.16 द्वारा की गयी है। अतएव स्वीकृत्यादेश सं०-269 दिनांक-23/1/17 के आलोक में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹166.78 लाख रु० SCSP मद में, ₹16.50 लाख रु० TSP मद में एवं ₹1964.12 लाख रु० Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹2147.40 लाख रु० (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रु० मात्र) (स्तम्भ 9 में अंकित राशि) 57 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख रु० में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं०	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि @ 1.50 Lakh/DU	केन्द्रांश की प्रथम किस्त के 50% विमुक्त राशि	केन्द्रांश की प्रथम किस्त के 50% विमुक्त राशि के विरुद्ध निकासी हेतु स्वीकृत अनुपातिक राज्यांश की राशि			
					SCSP मद	TSP मद	Other than TSP & SCSP मद	कुल विमुक्त राशि (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आरा	107	160.50	32.10	1.61	0.39	8.70	10.70

2	अरवल	474	711.00	142.20	7.11	0.03	40.26	47.40
3	अररिया (फेज-II)	1698	2547.00	509.40	0.00	0.00	169.80	169.80
4	बनमनखी	562	843.00	168.60	1.95	0.24	54.01	56.20
5	बरौली	230	345.00	69.00	2.69	0.26	20.05	23.00
6	बाढ़	500	750.00	150.01	6.37	0.02	43.61	50.00
7	बेतिया	39	58.50	11.71	0.59	0.29	3.02	3.90
8	बीरपुर	128	192.00	38.40	1.41	0.02	11.37	12.80
9	बिक्रमगंज	758	1137.00	227.40	3.28	0.06	72.46	75.80
10	बक्सर	111	166.50	33.31	1.67	0.74	8.69	11.10
11	बिक्रम	490	735.00	147.01	2.41	0.00	46.59	49.00
12	दानापुर	177	265.50	53.11	2.66	0.13	14.91	17.70
13	दरभंगा	942	1413.00	282.60	14.13	0.13	79.94	94.20
14	ढाका	100	150.00	30.00	1.50	0.00	8.50	10.00
15	दिघवारा	359	538.50	107.70	3.85	0.01	32.04	35.90
16	एकमा बजार	250	375.00	75.00	0.00	0.00	25.00	25.00
17	फारवीशगंज	461	691.50	138.31	2.48	0.06	43.56	46.10
18	गोपालगंज	500	750.00	150.01	5.10	0.09	44.81	50.00
19	हवेली खड़गपुर	154	231.00	46.20	2.31	0.01	13.08	15.40
20	हाजीपुर (फेज-II)	327	490.50	98.10	0.00	0.00	32.70	32.70
21	जगदीशपुर	639	958.50	191.70	1.88	0.09	61.93	63.90
22	जमुई	497	745.50	149.10	6.61	0.05	43.04	49.70
23	जयनगर	277	415.50	83.10	3.24	0.02	24.44	27.70
24	जनकपुर रोड	254	381.00	76.20	1.00	0.02	24.38	25.40
25	जोगबनी	460	690.00	138.00	3.63	0.04	42.33	46.00
26	कहलगाँव	91	136.50	27.31	1.37	0.16	7.57	9.10
27	कटिहार	871	1306.50	261.30	13.07	2.25	71.78	87.10
28	कोआथ	329	493.50	98.70	2.03	0.00	30.87	32.90
29	कटैया	50	75.00	15.00	0.75	0.02	4.23	5.00
30	कोईलवर	103	154.50	30.90	1.47	0.01	8.82	10.30
31	कोचस	79	118.50	23.70	0.00	0.00	7.90	7.90
32	लालगंज	500	750.00	150.00	3.91	0.04	46.05	50.00
33	महनार	605	907.50	181.50	7.60	0.01	52.89	60.50
34	मढौरा	160	240.00	48.00	2.28	0.00	13.72	16.00
35	महुआ	523	784.50	156.90	0.00	0.00	52.30	52.30
36	मनेर	314	471.00	94.19	3.03	0.03	28.34	31.40
37	मधेपुरा	1012	1518.00	303.60	4.08	0.08	97.04	101.20
38	मीरगंज	163	244.50	48.90	1.33	0.16	14.81	16.30
39	मातिहारी	248	372.00	74.40	3.72	0.14	20.94	24.80
40	मोहनियां	158	237.00	47.40	0.00	0.00	15.80	15.80
41	मनिहारी	114	171.00	34.20	1.71	0.14	9.55	11.40
42	नासरीगंज	193	289.50	57.90	1.16	0.01	18.13	19.30
43	नौबतपुर	350	525.00	104.99	3.81	0.00	31.19	35.00
44	पकडीदयाल	471	706.50	141.30	4.10	0.00	43.00	47.10
45	परसा	602	903.00	180.60	0.00	0.00	60.20	60.20
46	पटना	413	619.50	123.90	0.00	2.12	39.18	41.30
47	पूर्णिमा	1183	1774.50	354.91	17.75	6.29	94.26	118.30
48	रामनगर	38	57.00	11.41	0.57	0.29	2.94	3.80

49	साहेबगंज	78	117.00	23.40	1.17	0.04	6.59	7.80
50	सासाराम	296	444.00	88.80	4.44	0.91	24.25	29.60
51	सिलाव	168	252.00	50.40	2.52	0.03	14.25	16.80
52	सिवान	69	103.50	20.70	1.04	0.52	5.34	6.90
53	सिमरी बख्तियारपुर	1085	1627.50	325.50	0.00	0.00	108.50	108.50
54	टेकारी	150	225.00	45.01	1.85	0.01	13.14	15.00
55	भभुआ	53	79.50	15.90	0.80	0.40	4.10	5.30
56	डेहरी डालमियानगर	68	102.00	20.31	1.01	0.14	5.62	6.77
57	रोसड़ा	443	664.50	132.90	2.73	0.00	41.60	44.33
		21474	32211.00	6442.20	166.78	16.50	1964.12	2147.40

2. स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 IC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 दि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से ₹1964.12 लाख रू0 (उन्नीस करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-192 नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 31 05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217011920301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 4003.99 लाख रू0 का बजट उपबंध प्राप्त है, जिसमें से 1580.00 लाख रू0 की निकासी की जा चुकी है तथा 2423.99 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

4


(ii) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से ₹166.78 लाख रू0 (एक करोड़ छियासठ लाख अठहत्तर हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

(iii) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से ₹16.50 लाख रू0 (सोलह लाख पचास हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 270

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


दिनांक-23-3-17


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 270

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक-23-3-17


सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 57 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की राशि कुल ₹6442.20 लाख ₹0 के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹166.78 लाख ₹0 SCSP मद में, ₹16.50 लाख ₹0 TSP मद में एवं ₹1964.12 लाख ₹0 Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹2147.40 लाख ₹0 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार ₹0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/16/2016-HFA-III(FTS 15878) दिनांक- नवम्बर, 2016 द्वारा राज्य के 57 नगर निकायों हेतु ₹500.34 लाख ₹0 SCSP मद में, ₹49.51 लाख ₹0 TSP मद में एवं ₹5892.35 लाख ₹0 Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹6442.20 लाख ₹0 विमुक्त की गयी। इसकी निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-188 दिनांक-21.12.16 आवंटनादेश सं०-189 दिनांक-21.12.16 द्वारा की गयी है। अतः इस योजना के कार्यान्वयन हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹166.78 लाख ₹0 SCSP मद में, ₹16.50 लाख ₹0 TSP मद में एवं ₹1964.12 लाख ₹0 Other than TSP & SCSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹2147.40 लाख ₹0 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार ₹0 मात्र) (स्तम्भ 9 में अंकित राशि) 57 नगर निकायों में व्यक्तिगत लाभार्थी आधारित आवास निर्माण योजना के कार्यान्वयन हेतु में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

(राशि लाख ₹0 में)

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं०	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि @ 1.50 Lakh/DU	केन्द्रांश की प्रथम किस्त के 50% विमुक्त राशि	केन्द्रांश की प्रथम किस्त के 50% विमुक्त राशि के विरुद्ध निकासी हेतु स्वीकृत अनुपातिक राज्यांश की राशि			
					SCSP मद	TSP मद	Other than TSP & SCSP मद	कुल विमुक्त राशि (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आरा	107	160.50	32.10	1.61	0.39	8.70	10.70
2	अरवल	474	711.00	142.20	7.11	0.03	40.26	47.40

3	अररिया (फेज-II)	1698	2547.00	509.40	0.00	0.00	169.80	169.80
4	बनमनखी	562	843.00	168.60	1.95	0.24	54.01	56.20
5	बसौली	230	345.00	69.00	2.69	0.26	20.05	23.00
6	बाढ़	500	750.00	150.01	6.37	0.02	43.61	50.00
7	बेतिया	39	58.50	11.71	0.59	0.29	3.02	3.90
8	बीरपुर	128	192.00	38.40	1.41	0.02	11.37	12.80
9	बिक्रमगंज	758	1137.00	227.40	3.28	0.06	72.46	75.80
10	बक्सर	111	166.50	33.31	1.67	0.74	8.69	11.10
11	बिक्रम	490	735.00	147.01	2.41	0.00	46.59	49.00
12	दानापुर	177	265.50	53.11	2.66	0.13	14.91	17.70
13	दरभंगा	942	1413.00	282.60	14.13	0.13	79.94	94.20
14	ढाका	100	150.00	30.00	1.50	0.00	8.50	10.00
15	दिघवारा	359	538.50	107.70	3.85	0.01	32.04	35.90
16	एकमा बजार	250	375.00	75.00	0.00	0.00	25.00	25.00
17	फारवीशगंज	461	691.50	138.31	2.48	0.06	43.56	46.10
18	गोपालगंज	500	750.00	150.01	5.10	0.09	44.81	50.00
19	हवेली खडगपुर	154	231.00	46.20	2.31	0.01	13.08	15.40
20	हाजीपुर (फेज-II)	327	490.50	98.10	0.00	0.00	32.70	32.70
21	जगदीशपुर	639	958.50	191.70	1.88	0.09	61.93	63.90
22	जमुई	497	745.50	149.10	6.61	0.05	43.04	49.70
23	जयनगर	277	415.50	83.10	3.24	0.02	24.44	27.70
24	जनकपुर रोड	254	381.00	76.20	1.00	0.02	24.38	25.40
25	जोगबनी	460	690.00	138.00	3.63	0.04	42.33	46.00
26	कहलगाँव	91	136.50	27.31	1.37	0.16	7.57	9.10
27	कटिहार	871	1306.50	261.30	13.07	2.25	71.78	87.10
28	कोआथ	329	493.50	98.70	2.03	0.00	30.87	32.90
29	कटैया	50	75.00	15.00	0.75	0.02	4.23	5.00
30	कोईलवर	103	154.50	30.90	1.47	0.01	8.82	10.30
31	कोचस	79	118.50	23.70	0.00	0.00	7.90	7.90
32	लालगंज	500	750.00	150.00	3.91	0.04	46.05	50.00
33	महनार	605	907.50	181.50	7.60	0.01	52.89	60.50
34	मढौरा	160	240.00	48.00	2.28	0.00	13.72	16.00
35	महुआ	523	784.50	156.90	0.00	0.00	52.30	52.30
36	मनेर	314	471.00	94.19	3.03	0.03	28.34	31.40
37	मधेपुरा	1012	1518.00	303.60	4.08	0.08	97.04	101.20
38	मीरगंज	163	244.50	48.90	1.33	0.16	14.81	16.30
39	मातिहारी	248	372.00	74.40	3.72	0.14	20.94	24.80
40	मोहनियां	158	237.00	47.40	0.00	0.00	15.80	15.80
41	मनिहारी	114	171.00	34.20	1.71	0.14	9.55	11.40
42	नासरीगंज	193	289.50	57.90	1.16	0.01	18.13	19.30
43	नौबतपुर	350	525.00	104.99	3.81	0.00	31.19	35.00
44	पकड़ीदयाल	471	706.50	141.30	4.10	0.00	43.00	47.10
45	परसा	602	903.00	180.60	0.00	0.00	60.20	60.20
46	पटना	413	619.50	123.90	0.00	2.12	39.18	41.30
47	पूर्णिया	1183	1774.50	354.91	17.75	6.29	94.26	118.30
48	रामनगर	38	57.00	11.41	0.57	0.29	2.94	3.80

49	साहेबगंज	78	117.00	23.40	1.17	0.04	6.59	7.80
50	सासाराम	296	444.00	88.80	4.44	0.91	24.25	29.60
51	सिलाव	168	252.00	50.40	2.52	0.03	14.25	16.80
52	सिवान	69	103.50	20.70	1.04	0.52	5.34	6.90
53	सिमरी बख्तियारपुर	1085	1627.50	325.50	0.00	0.00	108.50	108.50
54	टेकारी	150	225.00	45.01	1.85	0.01	13.14	15.00
55	भभुआ	53	79.50	15.90	0.80	0.40	4.10	5.30
56	डेहरी डालमियानगर	68	102.00	20.31	1.01	0.14	5.62	6.77
57	रोसड़ा	443	664.50	132.90	2.73	0.00	41.60	44.33
		21474	32211.00	6442.20	166.78	16.50	1964.12	2147.40

2. स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार ₹0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।
3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए०सी० विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।
4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
5. (i) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार ₹0 मात्र) में से ₹1964.12 लाख ₹0 (उन्नीस करोड़ चौंसठ लाख बारह हजार ₹0 मात्र) माँग सं०-48, मुख्य शीर्ष-2217-शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-192 नगर पालिकाओं-नगर परिषद को सहायता, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 31 05-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217011920301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 4003.99 लाख ₹0 का बजट उपबंध प्राप्त है, जिसमें से 1580.00 लाख ₹0 की निकासी की जा चुकी है तथा 2423.99 लाख ₹0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6

(ii) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से ₹166.78 लाख रू0 (एक करोड़ छियासठ लाख अठहत्तर हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

(iii) स्वीकृत राशि ₹2147.40 (इक्कीस करोड़ सैंतालीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से ₹16.50 लाख रू0 (सोलह लाख पचास हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोगना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकर, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0- 47/टि0 पर दिनांक- 23.03.2017 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0- 47/टि0 पर दिनांक- 21.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(जय प्रकाश मंडल),

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

दिनांक- 23.3.17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

269

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

दिनांक- 23.3.17

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

269

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित नगर आयुक्त नगर निगम/संबंधित नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

R.Ka.